

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 342 / 2016)

(संस्थित दिनांक :- 24 / 06 / 2016)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. रविन्द्र उर्फ रवि गुर्जर पुत्र श्रीकृष्ण सिंह गुर्जर, उम्र 39 वर्ष।

02. भूरा गुर्जर पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर, उम्र 22 वर्ष।

03. दीपू गुर्जर पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर, उम्र 20 वर्ष।

निवासी :- ग्राम घिरोंगी, थाना : मालनपुर, जिला—भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 13 / 03 / 2018 को घोषित)

01. आरोपीगण दीपू गुर्जर, भूरा गुर्जर एवं रविन्द्र गुर्जर पर धारा 294, 323 / 34, 327 / 34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 14 / 04 / 2016 को सुबह 07:00 बजे सुप्रीम फैंक्ट्री के गेट के सामने सड़क पर मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर फरियादी रामकुमार को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी रामकुमार से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी रामकुमार की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सहअभियुक्त के साथ दौलतराम की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में दौलतराम की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी रामकुमार को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 14 / 04 / 2016 को सुबह 07:00 बजे सुप्रीम फैंक्ट्री के गेट के सामने सड़क पर मालनपुर में, आरोपीगण दीपू गुर्जर, भूरा गुर्जर एवं रविन्द्र गुर्जर द्वारा उसकी एवं दौलतराम की मारपीट करने एवं आरोपी रवि द्वारा शराब पीने के लिए 500 /— रुपये मांगने, ना देने पर उसकी मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी रामकुमार द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 59 / 2016 अन्तर्गत धारा 294, 323, 327 एवं 506 भाग।।

सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण दीपू गुर्जर, भूरा गुर्जर एवं रविन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी भूरा गुर्जर से एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी रामकुमार, आहत दौलतराम एवं विपिन के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण दीपू गुर्जर, भूरा गुर्जर एवं रविन्द्र गुर्जर के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 327/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपीगण एवं फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि गुर्जर ने दिनांक :- 14/04/2016 को सुबह 07:00 बजे सुप्रीम फैंक्ट्री के गेट के सामने सड़क पर मालनपुर में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामकुमार से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी रामकुमार की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी रामकुमार अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 13/03/2017 से लगभग डेढ़-दो साल पूर्व की होकर सुबह 07:00 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसका आरोपीगण से मुहवाद हो गया था, जिसमें आरोपीगण ने उसके एवं उसके भाई दौलतराम के साथ धक्का-मुक्की कर दी थी, उक्त धक्का-मुक्की में उसे एवं उसके भाई दौलतराम को चोट आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाना मालनपुर में की गई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था एवं घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी रामकुमार अ.सा.01 ने आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि द्वारा दिनांक :- 14/04/2016 को सुबह 07:00 बजे सुप्रीम फैंक्ट्री के गेट के सामने सड़क पर मालनपुर में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उससे रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर

उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी रामकुमार अ.सा.01 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.पी.03 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

07. आहत/साक्षी दौलतराम अ.सा.02 ने भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि द्वारा दिनांक :- 14/04/2016 को सुबह 07:00 बजे सुप्रीम फैक्ट्री के गेट के सामने सड़क पर मालनपुर में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामकुमार से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी रामकुमार की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

08. आरोपीगण तथा फरियादी/आहत के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी रामकुमार शर्मा अ.सा.01 एवं दौलतराम अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

09. अभियोजन द्वारा इस वावत् कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रविन्द्र उर्फ रवि गुर्जर ने दिनांक :- 14/04/2016 को सुबह 07:00 बजे सुप्रीम फैक्ट्री के गेट के सामने सड़क पर मालनपुर में, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी रामकुमार से रुपये उद्दापित करने के प्रयोजन से फरियादी रामकुमार की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

10. अभियोजन आरोपीगण दीपू गुर्जर, भूरा गुर्जर एवं रविन्द्र गुर्जर के विरुद्ध धारा 327/34 भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्तगण को धारा 327/34 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

11. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

12. प्रकरण में आरोपी भूरा गुर्जर से जब्तशुदा एक लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित किया जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद